

In the Court of Additional Sessions Judge-II
Vaishali at Hajipur

Title Appeal No. 02/2008

आदेश

02.09.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजरी हैं। उतरवादी सं०-1 की ओर से अपीलकर्ता के आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2023 / 11.08.2023 पर विरोध पत्र दाखिल किया गया जिसे अभिलेख पर रखा गया।
दिनांक 16.09.2023 प्रतिउत्तर हेतु।

ले०

16.09.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजरी हैं। वाद पुकार पर संबंधित पक्ष के वि० अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

दिनांक 09.11.2023 प्रतिउत्तर हेतु।

ले०

09.11.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजरी हैं। वाद पुकार पर संबंधित पक्ष के वि० अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए एवं आवेदन दिनांक 17.05.2023 एवं दिनांक 21.07.2023 को प्रचालित किये। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

दिनांक 24.11.2023 प्रतिउत्तर हेतु।

ले०

24.11.2023

पीठासीन पदाधिकारी चालू कार्य पर हैं। उभय पक्ष की ओर से हाजरी हैं।

दिनांक 13.12.2023 प्रतिउत्तर हेतु।

ले०

A.D.J-II

In the Court of Additional Sessions Judge-II
Vaishali at Hajipur

Title Appeal No. 02/2008

आदेश

13.12.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजरी हैं। वाद पुकार पर संबंधित पक्ष के वि० अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

दिनांक 06.01.2024 प्रतिउत्तर हेतु।

ले०

06.01.2024

A.D.J-II

उभय पक्ष की ओर से हाजरी हैं। वाद पुकार पर संबंधित पक्ष के वि० अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

दिनांक 01.02.2024 प्रतिउत्तर हेतु।

ले०

01.02.2024

A.D.J-II

उभय पक्ष की ओर से हाजरी हैं। वाद पुकार पर संबंधित पक्ष के वि० अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

दिनांक 15.02.2024 प्रतिउत्तर हेतु।

ले०

15.02.2024

A.D.J-II

15.03.2024

कार्यालय से अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता निधन के कारण न्यायिक कार्य बाधित रहा। उभय पक्ष की ओर से हाजरी हैं।

दिनांक 19.04.2024 प्रतिउत्तर हेतु।

ले०

A.D.J-II

In the Court of Additional Sessions Judge-II

Vaishali at Hajipur

Title Appeal No. 02/2008

आदेश

19.04.2024

उभय पक्ष की ओर से हाजरी हैं। वाद पुकार पर संबंधित पक्ष के वि० अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। विपक्षी सं०-17 पंचानन्द गुप्ता, उत्तरवादी सं०-29 संजय गुप्ता एवं उत्तरवादी सं०-9 गायत्री देवी की ओर से उनके वि० अधिवक्ता आवेदन दिनांक 17.05.2023, एवं दिनांक 21.07.2023 जो आदेश XXII नियम 4 ब०प्र०स० के अंतर्गत दाखिल किया जाता हैं और शपथ पत्र से समर्थित हैं। एक अन्य आवेदन जो शपथ पत्र से समर्थित हैं, धारा 5 परीसीमा अधिनियम के प्रावधान तथा आदेश XXII नियम XI ब्य०प्र०स० के अंतर्गत इस आशय का दिया गया हैं कि इसकी जानकारी आवेदक को पूर्व में नहीं हुई क्योंकि वह बूढ़ी महिला हैं एवं ईलाज के सिलसिले में सूरत में थी, जबकि उत्तरवादी की मृत्यु कलकत्ते में हुई। इसी आलोक में वाद के उपशमन को आप्रास्त करते हुए विलम्ब को माफ करने की प्रार्थना के साथ प्रतिस्थापना आवेदन को स्वीकृत करने की प्रार्थना किया गया हैं। प्रचालित करते हुए न्यायालय से प्रार्थना करते हैं कि उत्तरवादी सं०-17 पंचानन्द गुप्ता की मृत्यु दिनांक 18.07.2022, विपक्षी सं०-29 संजय गुप्ता की मृत्यु दिनांक 12.02.2023 एवं उत्तरवादी सं०-9 गायत्री देवी की मृत्यु दिनांक 14.03.2023 को हो गयी हैं जिसके समर्थन में शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया हैं और इसी आवेदन को स्वीकृत करते हुए उत्तरवादी सं०-17(a) सौरभ कुमार, पिता- स्व० पंचानन्द गुप्ता, उत्तरवादी सं०-17(b) ईशा नायक, पुत्री- स्व० पंचानन्द गुप्ता, उत्तरवादी सं०-17(c) सोनाली गुप्ता, पुत्री- स्व० पंचानन्द गुप्ता, उत्तरवादी सं०-17(d) शुभ लक्ष्मी गुप्ता, पत्नी- स्व० पंचानन्द गुप्ता, उत्तरवादी सं०-29(a) राहुल कुमार गुप्ता, पिता- स्व० संजय गुप्ता, उत्तरवादी सं०-29(b) साहिल कुमार गुप्ता, पिता- स्व० संजय गुप्ता, उत्तरवादी सं०-29(d) रिकी गुप्ता, पत्नी-स्व० संजय गुप्ता, उत्तरवादी सं०-9(a) भोला साह, उत्तरवादी सं०-9(b) हिमांशु साह, पिता- स्व० ज्ञान प्रकाश, उत्तरवादी सं०-9(c) अंकित साह, पिता- स्व० ज्ञान प्रकाश, उत्तरवादी सं०-9(d) सत्या प्रकाश, पिता-भोला साह, उत्तरवादी सं०-8(d) श्रृष्टि साह, पत्नी-मनिष कुमार जो कि मृत विपक्षीगण का पत्नी, पुत्र व पुत्रियाँ हैं, प्रार्थना की गयी हैं कि मेमो ऑफ अपील के मुख्य पृष्ठ से मृतक का नाम विलोपित कर उनके उपरोक्त वर्णित वरिसानो का नाम प्रतिस्थापित की जाए।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता हैं कि आवेदन शपथ पत्र से समर्थित हैं तथा पर्याप्त कारण पूर्व में आवेदन समय सीमा के अंतर्गत दाखिल नहीं करने के संबंध में दर्शाया गया हैं तथा “पर्याप्त कारण” को बहुत ही कड़े तरीके से देखना न्यायहीत के विरुद्ध होगा क्योंकि आवेदिका बूढ़ी एवं बीमार महिला हैं एवं गुण-दोष कर केस का निष्पादन श्रेयस्कर होगा। इसी आलोक में अपीलकर्ता की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 17.05.2023, एवं दिनांक 21.07.2023 को 100-100 रुपया खर्चा DLSA, Vaishali में जमा करने पर स्वीकृत किया जाता हैं एवं मृतको का नाम अपीलवाद के मुख्य पृष्ठ से विलोपित करके विपक्षीगणों का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश अपीलकर्ता को दिया जाता हैं। आवेदक के वि० अधिवक्ता इसे सुनिश्चित करें।

दिनांक 24.05.2024 सुनवाई हेतु।

ले०

A.D.J-II